06.04.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी हैं। पुकार पर परिवादिनी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए । सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने लक्ष्मीपुर थाना में आवेदन दिया था, जिसके आधार लक्ष्मीपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 257/2024 के रूप में काण्ड अंकित हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 412/24 असत्य दर्शाते हुये समर्पित किया। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध सूचिका द्वारा दाखिल विरोध पत्र दिनांक 18.09.2025 को परिवाद माना गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त 2 साक्षियों होपन मुर्मू और तिलो कोल का साक्ष्य करवाया है।

परिवादिनी रूबी देवी के विरोध–सह–परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2024 को करीब 11.00 बजे रात में अपने घर का सारा काम करके आराम कर रही थी तभी उसके ही गांव के प्यारे यादव उसके घर पर आया और घर का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोला तो देखा कि प्यारे यादव नशे की हालत में है और नशे की हालत में खाना मांगने लगा। परिवादिनी के द्वारा यह कहने पर कि खाना नही है, प्यारे यादव बोला कि जिस्म का खाना चाहिए और उसको पकड़ लिया एवं साड़ी खींचने लगा, जिसके कारण वह अर्द्धनग्न हो गयी। जब वहां वहां से भागने लगी तो प्यारे यादव उसे जमीन पर पटक दिया और कहा कि भोसड़ी, सौतारनी का कोई इज्जत नहीं होता है एवं किसी को कुछ बताई तो जान से मार देगें। प्यारे यादव और उसकी पत्नी सुबह उसके घर पर आकर गाली–गलौज करने लगे।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त 2 साक्षी होपन मुर्मू एवं तिलो कोल का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि प्यारे यादव ने उसे जमीन पर पटक कर जबरदस्ती करने लगा और बोला कि आज भी बेईज्जत करेगें और कल भी बेईज्जत करेगें। जांच साक्षी संख्या 1

होपन मुर्मू ने अपने साक्ष्य में सिर्फ यह कथन किया है कि उसकी पत्नी के साथ प्यारे यादव ने धर–पकड़ किया एवं रंडी, भोसड़ी कहकर गाली दिया तथा उसे पटक कर अर्द्धनग्न कर दिया। जांच साक्षी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि प्यारे यादव ने 11 बजे रात में शराब पीकर होपन मुर्मू के घर का दरवाजा पीटने लगा। फिर छेड़छाड़ करने लगा। हल्ला पर लोग जुटे तो वह भाग गया। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि बिजुली देवी ने कुछ नही किया है। परिवादिनी एवं जांच साक्षी 1 ने भी अपने–अपने बयान में बिजुली देवी के द्वारा परिवादिनी के घर पर जाकर गाली–गलौज करने की बात का समर्थन नही किया है। अतः मामले में सभी परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये मेरे विचार से अभियुक्त प्यारे यादव के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(Va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्त प्यारे यादव की उपस्थिति हेतु परिवादिनी द्वारा समन आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।

Copy